



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 8 जून, 2021
ज्येष्ठ 18, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2

संख्या सी०पी०-133/84-2-2021-सी०पी०-09-2009

लखनऊ, 8 जून, 2021

अधिसूचना/संशोधन

प०आ०-130

उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) की धारा 28 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 02/2021/सी०पी०-128/84-2-2021-सी०पी०-09-2009, दिनांक 21 मई, 2021 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रमांक 1 के स्तम्भ-3 में उल्लिखित श्री अनूप कुमार गोयल, से०नि० जिला न्यायाधीश को उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला अमेठी जिला के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में उक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 के समक्ष यथा उल्लिखित अध्यक्ष के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चार वर्ष के लिए अथवा पैंसठ वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है। उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रमांक-1 के स्तम्भ-2 में अमेठी के स्थान पर रायबरेली पढ़ा जाय। शेष अधिसूचना यथावत् रहेगी।

अनुसूची

क्रम- संख्या	जिला आयोग का नाम	नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता	नियुक्त व्यक्ति की जन्म तिथि	पद का नाम
1	2	3	4	5
1	रायबरेली	श्री अनूप कुमार गोयल, से0नि0 जिला न्यायाधीश स्थायी पता-82/66 दरभंगा कोलोनी, इलाहाबाद (प्रयागराज), उत्तर प्रदेश-211002 पत्र व्यवहार का पता-C/O दिलीप अग्रवाल, 14/18 स्टेनली रोड, जजेज कालोनी, इलाहाबाद (प्रयागराज), उत्तर प्रदेश-211002	21-08-1960	अध्यक्ष जिला आयोग (पूर्णकालिक)

आज्ञा से,
राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव।